प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 30.01.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं दिया गया 90,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं दिया गया 90,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना बसरेहर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर **थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 77/2022 धारा 376 भादवि बनाम सौरभ गुप्ता पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सौरभ गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 सन्दीप यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री अजय तोमर द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 30.01.2025 को अन्तर्गत धारा **376 भादवि** में मा0 न्यायालय ADJ/FTC-1 इटावा द्वारा **अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 90,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सौरभ गुप्ता उर्फ छोटू गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बसरेहर जनपद इटावा।**